भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 699

29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं का कल्याण

699. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में आशा कार्यकर्ताओं के लिए किए गए कल्याण संबंधी उपायों/योजनाओं के संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश के नान्दयाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) आंध्र प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में नान्दयाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए किन्हीं नए चिकित्सा महाविद्यालयों की योजना बनाई जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में बताई गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के तहत होती है।

देश में आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए 2000 रुपये प्रति माह की निश्चित मासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सरकार ने सितंबर, 2022 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। इन आशा प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/New-Update-2023-24/ASHA/Orders_and_guidelines/ASHA-INCENTIVES-APRIL-2024.pdf

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करते हैं तथा इसका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशा कार्यकर्ता अनुवीक्षित निष्पादन संकेतकों (प्रति माह 1000 तक) के आधार पर एएनएम के साथ-साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) के लिए अतिरिक्त रूप से पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे - आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, ड्रग किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के लिए भी पात्र हैं। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के योगदान के आभार के रूप में, कम से कम 10 वर्षों तक आशा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को ₹20,000/- का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने की भी मंजूरी दी है।

वर्ष 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। पैकेज में निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान किया गया है:

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) जिसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जिसमें दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2.00 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा; आंशिक विकलांगता के लिए 1.00 लाख रुपये (भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम का योगदान)।

इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन लाभ (भारत सरकार द्वारा प्रीमियम का 50% योगदान और लाभार्थियों द्वारा 50%) के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री के वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट भाषण के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सभी आशा कार्यकर्ताओं तक ₹5 लाख की वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार किया गया है।

(ख): वित्त वर्ष 2024-26 के लिए आरओपी में एनएचएम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत धनराशि का विवरण सार्वजनिक डोमेन के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=52&lid=65

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों, जहाँ कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयरिंग व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, आंध्र प्रदेश में पिदुगुराल्ला, पडेरू और मछलीपट्टनम में 03 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

अनुलग्नक-I

राज्य विशिष्ट आशा के लिए प्रोत्साहन

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**राज्य निधि से आशा कार्यकर्ताओं को राज्य विशिष्ट निश्चित/टॉप अप प्रोत्साहन**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	ग्रामीणों की बेहतर सेवा के लिए प्रत्येक आशा को 500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं
2	आंध्र प्रदेश	आशा को प्रतिमाह 10,000 रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि में कमी की भरपाई हेतु शेष राशि प्रदान की जाती है
3	अरुणाचल प्रदेश	रु. 2000 प्रति माह (100% टॉप-अप, संवितरण की आवृत्ति त्रैमासिक)
4	बिहार	राज्य निधि से 1000 रुपये प्रति माह/आशा और 1000 रुपये प्रति माह/आशा सहयोगी के लिए अतिरिक्त प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन
5	छत्तीसगढ़	आशा द्वारा अर्जित प्रोत्साहन राशि पर प्रोत्साहन की अनुरूप धनराशि का 75% राज्य निधि से दिया जाता है।
6	दिल्ली	कार्यरत आशा के लिए मुख्य प्रोत्साहन राशि 3000 रुपये प्रति माह है, साथ ही कुछ राज्य विशिष्ट गतिविधि प्रोत्साहन भी हैं।
7	गुजरात	भारत सरकार के कुल प्रोत्साहन पर 50% टॉप अप/प्रति माह और 2500/माह फिक्स प्रोत्साहन
8	हरियाणा	रु.4000/- प्रति माह/आशा और 50% टॉप-अप (नियमित आवर्ती प्रोत्साहन को छोड़कर) और रु.450/- अतिरिक्त, जो 05 प्रमुख आरसीएच गतिविधियों के प्रदर्शन के साथ जुड़ा हुआ है।
9	हिमाचल प्रदेश	रु. 4700/- (राज्य प्रोत्साहन में रु. 500/- की वृद्धि की गई है, इसलिए अप्रैल, 2023 से देय कुल प्रोत्साहन राशि रु. 5200/- है)
10	झारखंड	14 प्रमुख संकेतकों के प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन पर 1000/- का टॉप अप
11	कर्नाटक	राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं को मासिक मानदेय के रूप में 5000 रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है
12	केरल	राज्य सरकार के निधि से आशा को 6000 रुपये प्रतिमाह मानदेय
13	महाराष्ट्र	रु. 3500/माह/आशा
14	मणिपुर	1000/- रुपये प्रति आशा/माह।
15	मेघालय	राज्य निश्चित प्रोत्साहन - रु. 2000/- प्रतिमाह और राज्य कोविड प्रोत्साहन - रु. 1000/- प्रतिमाह
16	मध्य प्रदेश	राज्य निधि से रु. 4000/माह/आशा और 200/माह/आशा सहयोगी

17	ओडिशा	1000/- प्रति माह सशर्त सुनिश्चित प्रोत्साहन के रूप में
18	पुदुचेरी	3000 रुपये प्रति माह/आशा की निश्चित राशि
19	पंजाब	2500 रुपये प्रति आशा/आशा सहयोगी
20	राजस्थान	राज्य सरकार की निधि से 1650 रुपये प्रति आशा/माह
21	सिक्किम	राज्य निधि से 6000 रुपये का मासिक निश्चित मानदेय वितरित किया जाता है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने निश्चित मानदेय को 6000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये करने की घोषणा की है।
22	तमिलनाडु	एनसीडी प्रोत्साहन - 500 रुपये
23	तेलंगाना	6750 रुपये/माह
24	त्रिपुरा	8 विशिष्ट कार्यों पर 100% तथा एनएचएम कार्यों पर 33.33% की दर से राज्य के खजाने से टॉप अप तथा प्रत्येक आशा और एएफएस के लिए 1000 रुपए निर्धारित किए हैं।
25	उत्तर प्रदेश	1500 रुपये प्रति माह (नियमित गतिविधि के लिए प्रोत्साहन से जुड़ा राज्य बजट प्रोत्साहन)
26	उत्तराखंड	3000 रुपये प्रतिमाह राज्य प्रोत्साहन राशि
27	पश्चिम बंगाल	सभी कार्यरत ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के लिए 4500 रुपये मासिक निश्चित मानदेय

******